उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-04/2016/213/92-1-2016-35(अधि)/2013,
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश सं0-7177/38-9-92-93एम/89, दिनांक 29-12-92 की व्यवस्था के अनुसार विश्व बैंक परियोजना से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में समायोजित निम्नलिखित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत रू0 3700-5000 व समकक्ष वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/1215/92-2014-35(अधि0)/2013, दिनांक 04-3-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी :-

क्र0सं0	सहायक अभियंता का नाम	वैयक्तिक वेतनमान देयता की तिथि
1	2	3
1	श्री अशोक कुमार माथुर	13-05-1999
2	श्री राज कुमार वर्मा	11-11-1999
3	श्री त्रियुगी नारायण सिंह	27-12-2000
4	श्री आनन्द कृष्ण शुक्ला	15-03-2001
5	श्री सै0 अखलाख हुसैन रिजवी	15-03-2001
6	श्री अजय आर्या, (सेवानिवृत्त दि0 31-7-2013)	15-03-2001
7	श्री अशोक कुमार गुप्ता	09-08-2002
8	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	17-08-2002
9	श्री त्रिलोकी नाथ राय	01-05-2003
10	श्री माया राम वर्मा	01-05-2003

3- उपरोक्त सहायक अभियंताओं को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-2-2014 द्वारा अनुमन्य कराये लाभ के सम्बन्धमें निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-जी-240/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/2014-15, दिनांक 23-7-2014 द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियंताओं की पूर्व विभाग में की गयी सेवाओं को जोड़ते हुये समयमान-वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने विषयक किये गये अनुरोध के अनुक्रम में प्रकरण में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 29-12-2015 को विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत कर संदर्भित सहायक अभियंताओं को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-2-2014 द्वारा अनुमन्य कराये गये समयमान-वेतनमान के लाभ का पुनर्परीक्षण किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि समयमान-वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 02 विभागों अथवा एक ही विभाग में अलग-अलग पद पर की गयी सेवाओं को जोड़कर समयमान-वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। अत: परिसमापित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में समायोजित सहायक अभियंताओं को, परियोजना की सेवाओं को जोड़कर समयमान-वेतनमान दिये जाने का अवसर नहीं है। अत: प्रश्नगत सहायक अभियंताओं/अधिशासी अभियंताओं को विभिन्न तिथियों से रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने विषयक आदेश दिनांक 04-3-2014 त्रुटिपूर्ण है। यद्यपि उक्त सहायक अभियंताओं/अधिशासी अभियंताओं को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर समायोजित किये जाने की तिथि से 16 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 की देयता बनती है।

4- अत: स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-

(1) विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर समायोजित सहायक अभियंताओं जिन्हें 18 वर्ष की सेवा (जिसमें विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना में की गयी सेवा भी सम्मिलित है) पूर्ण करने के उपरान्त विभिन्न तिथियों से रू0 3700-5000 व समकक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/1215/92-2014-35(अधि0)/2013, दिनांक 04-3-2014 को निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त आदेश दिनांक 04-3-2014 के अनुक्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पत्र सं0-1253/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/2014-15, दिनांक 28-8-2014 द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया था कि जब तक प्रश्नगत प्रकरण में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त न हो जाय, तब तक सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को पूर्व वेतनमान में ही वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें तथा वेतन निर्धारण के उपरान्त एरियर आदि का आहरण न किया जाय। परन्तु फिर भी आदेश दिनांक 04-3-2014 के फलस्वरूप यदि किसी सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता का वेतन निर्धारण करने के उपरान्त एरियर आदि का भुगतान उसे प्राप्त हो गया हो तो सम्बन्धित सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा अब प्राप्त की गयी अधिक धनराशि की वसूली/समायोजन नियमों के अन्तर्गत उसके वेतन/देयकों से अवश्य किया जाय।

(3) उक्त सहायक अभियंताओं को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्रेड पे द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम/जन्मतिथि/ से0नि0 की तिथि	पदनाम	द्वितीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार माथुर (जन्मतिथि- 02-06-1958)	सहायक अभियंता	01-02-2010	7600/-
2	श्री राज कुमार वर्मा (जन्मतिथि- 01-10-1957)	अधिशासी अभियंता	01-02-2010	7600/-
3	श्री त्रियुगी नारायण सिंह (जन्मतिथि- 01-07-1960)	अधिशासी अभियंता	24-01-2010	7600/-
4	श्री आनन्द कृष्ण शुक्ला (से0नि0- 30-11-2014)	सहायक अभियंता	11-02-2010	7600/-
5	श्री सै0 अखलाख हुसैन रिजवी (जन्मतिथि- 10-02-1957)	सहायक अभियंता	01-02-2010	7600/-
6	श्री अजय आर्या, (सेवानिवृत्त दि0 31-7-2013)	सहायक अभियंता	01-02-2010	7600/-
7	श्री अशोक कुमार गुप्ता (जन्मतिथि- 07-07-1960)	सहायक अभियंता	शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-14 की व्यवस्था के अन्तर्गत श्री गुप्ता के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रचलित/लम्बित होने के दृष्टिगत ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति स्थगित रखी गयी।	
8	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (जन्मतिथि- 01-01-1961)	सहायक अभियंता	10-02-2010	7600/-
9	श्री त्रिलोकी नाथ राय (जन्मतिथि- 15-01-1961)	सहायक अभियंता	01-02-2010	7600/-
10	श्री माया राम वर्मा (जन्मतिथि- 07-07-1960)	सहायक अभियंता	01-02-2010	7600/-

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 04 /2016/ 213(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित सहायक/अधिशासी अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।